राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश खैरवा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 216 / 2022

राकेश कुमार बनाम चन्दगीराम वगै0

1. राकेश कुमार पुत्र अजीतसिंह जाति जाट निवासी मारीगसर तहसील व जिला झुन्झुनू।

---- वादी

बनाम

1. चन्दगीराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी मारीगसर तहसील व जिला झुन्झुनू
2. सन्तोष पत्नी दयानन्द
3. कपिल पुत्र दयानन्द
4. कविता पुत्री दयानन्द
5. कल्पना पुत्री दयानन्द

समस्त जाति जाट निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

6. मातुलाल पुत्र माला जाति मेघवाल
7. बबलु पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल
8. सुमित्रा पत्नी रामसिंह जाति मेघवाल
9. बनिता पुत्री रामसिंह जाति मेघवाल
10. लीलाधर पुत्र माला जाति मेघवाल
11. दुर्गी पुत्री माला जाति मेघवाल

निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।

12. यादवचन्द पुत्र नोरंगसिंह जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
13. विरेन्द्र पुत्र नौरंगसिंह जाति जाट निवासी नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू।
14. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुन्झुनु तहसील व जिला झुन्झुनू।

--- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन

ग्राम मारीगसर पटवार हल्का नयासर में भूमि ख.न. 338 रकबा 1.07 है0, ख.न. 341 रकबा 0.08 है0, ख.न. 556 / 339 रकबा 0.04 है0, ख.न. 557 / 339 रकबा 0.81 है0, ख.न. 558 / 340 रकबा 0.05 है0, ख.न. 559 / 340 रकबा 1.75 है0 कुल खसरा 6 रकबा 3.80 है0 स्थित है। वाद में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 101 / 380 है0 वादी अपने हिस्से को काश्त करता है व काबिज है। हरकोरी की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान रिकार्ड पर है। चन्दगीराम का हिस्सा 1 / 5 है दयानन्द की मृत्यु हो चुकी है। दयानन्द के वारिसान प्रतिवादी न. 2 लगायत 5 है जिनका हिस्सा 23 / 380 सामुहिक रूप से है। माला की मृत्यु हो

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

चुकी है माला के वारिसान प्रतिवादी न. 6 लगायत 11 है जिनका वाद में वर्णित भूमि में सामुहिक रूप से हिस्सा 23/55 है। वादी वाद में वर्णित भूमि में अपने 101/380 हिस्सा का विभाजन अलग करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी न. 1 लगायत 13 को सहमति से विभाजन करवाने के लिये दिनांक 14.09.2022 को कहा तो प्रतिवादीगण ने सहमति से विभाजन करवाने के लिये मना कर दिया तब वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ तथा वादी अपना विभाजन करवाकर उत्तम खेती करना चाहता है।

वाद वादी सिद्ध होने पर प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मारीगसर पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुन्झुनू की सरहद में जमीन हाल ख.नं. 338 रकबा 0.07 हैक्टर तथा ख.नं. 341 रकबा 0.08 हैक्टर कुल खसरा 556/339 कुल रकबा 0.04 हैक्टर ख.न. 557/339 रकबा 0.81 है0 ख.न. 558/340 रकबा 0.05 है0 ख.न. 559/340 रकबा 1.75 है0 कृषि भूमि की बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि वादी के हिस्से 101/380 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के हक हिस्से की सीमा तक दोनो पक्षों की मौजूदगी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मडंल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.09.2020 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/3753 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में भिजवाये गये। वादी को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करने की सहमति जाहिर की। अतः वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। लिहाजा :–

–: निर्णय :–

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निर्णय लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें, तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)